न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनाक	निर्णय दिनांक
411/2022	01.11.2022	16.01.2024

उनवान

1. श्री अम्बालाल पुत्र तेजू जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रेमा उर्फ पेमा पुत्र तेजा जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री लादू पुत्र तेजू जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री शंकर पुत्र तेजू जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र धन्ना जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री कजोड पुत्र ज्वारा जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति कमला देवी पत्नी लादू जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थीगण सं. 1 से 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दांथल प0ह0 दांथल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 432 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2395/2317 रकबा 0.0379 है, आ0नं0 2396/2317 रकबा 0.0885 है0, आ0नं0 2317/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 04 पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित

भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमाकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दांथल प0ह0 दांथल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता सख्या 432 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2395/2317 रकबा 0.0379 है, आ0नं0 2396/2317 रकबा 0.0885 है0, आ0नं0 2317/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/24

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा